प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 213/**2025** (अपील सूचना का अधिकार)
Narayan lal Meena Add: Banjariya, Udaipur

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खेरवाड़ा, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 15/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329346258410757 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर तहसीलदार खेरवाड़ा से नामांतरकरण के संबंध में 4 बिन्दुओं की सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 7273431110 दिनांक 05.12.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/213/25/1279–80 दिनांक 05.12.2025 एवं पत्रांक 175–76 दिनांक 02.02.2026 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में नामांतरकरण संख्या 1856 को निरस्त किये जाने के संबंध में 4 बिन्दुओं की सूचना चाही गई है जिसमें बिन्दु संख्या 1 में पुत्रियों के साथ पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के लिए परिपत्र/अधिसूचना, बिन्दु संख्या 2 में पटवारी द्वारा की गई जांच सही है या नहीं, बिन्दु संख्या 3 में अपना खाता पोर्टल पर वारिसान दर्ज करते समय पति का नाम व संरक्षक को नाम विकल्प में क्यों दे रखा है, तथा बिन्दु संख्या 4 में दिनांक 01.07.25 से 07.10.25 तक तहसील कार्यालय द्वारा कितने नामांतरकरण निरस्त किये गये उनकी संख्या एवं निरस्त करने के कारणों के संबंध में सूचना चाही गई है। स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का अधिकांश भाग प्रश्नात्मक एवं स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत केवल अभिलेखों में उपलब्ध सूचना/दस्तावेज ही प्रदान किये जा सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी से किसी विषय पर कारण बताने, मत व्यक्त करने अथवा व्याख्या देने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(j) एवं 7(9) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सूचना अधिकारी वही सूचना उपलब्ध करा सकता है जो जिस रूप में अभिलेखों में उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या

RajKaj Ref No.:
22238809
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.15 12:10:50 IST
Reason: Approved

करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं को समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर

RajKaj Ref No.:
22238809
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.15 12:10:50 IST
Reason: Approved